

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 03 जुलाई, 2018

विषय :- जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बांदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाईन निर्माण हेतु प्रभावित 2.55 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति।

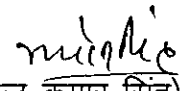
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/यूपी/04/38/2018/एफसी/231 दिनांक 28.06.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 28.06.2018 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।